न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 23/2019 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2019/00129

उनवान

श्रीमती माया देवी पत्नी विक्रम सिंह जाति जाट निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. घूरी उर्फ भूरी
2. सियाराम
3. मोहना

} पुत्रगण स्व0 दशरथ जाति धाकड निवासी वीरमपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

4. नवलदेई पत्नी गोपीचन्द जाति जाटव निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
5. अमर सिंह पुत्र मंगतूराम जाति कोली निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
6. प्रेमचन्द पुत्र घनश्याम जाति कोली निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 31.05.2019 उनवानी दशरथ बनाम मायादेवी प्र0स0 198/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्रीमति शशि बंसल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
3. वकील तर0 रैस्पो0 श्री रामसजन मावई उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 02.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 02 रकवा 20 बीघा चक वीरमपुरा तहसील बयाना का प्रार्थी/असल रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज रहा है। आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 0.14 है0 व 255/919 रकवा 0.55 है0 ग्राम चकवीछी तहसील बयाना का राजस्व रिकार्ड में गलत व अवैध खातेदारी काश्तकारी का इन्द्राज हो रहा है। ग्राम वीरमपुरा एवं ग्राम चकवीछी की राजस्व सीमाये मिली हुई हैं। ग्राम चक वीरमपुरा तहसील बयाना में स्थित साविक आराजी खसरा नम्बर 02 रकवा 20 बीघा का प्रार्थी/असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार व काबिज है में से बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्राम चक वीरमपुरा व चकवीछी का बन्दोबस्त दौरान सीमा के निर्धारण में ग्राम चक वीरमपुरा के क्षेत्र का रकवा मौके व रिकार्ड के विपरीत गलत व अवैध रूप से कम करते हुये ग्राम चकवीछी के रकवा को मौके व रिकार्ड के विपरीत बढा दिया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 0.14 है0 व 255/919 रकवा 0.55 है0 मौके व बन्दोबस्त पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम चक वीरमपुरा का भाग है उक्त नवीन खसरा नम्बर 255 रकवा 0.14 है0 255/919 रकवा 0.55 है0 स्थित ग्राम चकवीछी मौके के अनुसार बन्दोबस्त पूर्व आराजी खसरा नम्बर 02 रकवा 20 बीघा स्थित ग्राम चक वीरमपुरा से बनाया गया है मौके व कब्जे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 0.14, 255/919 रकवा 0.55 है0 का प्रार्थी/असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही कभी रहा है। बन्दोबस्त विभाग ने रिकार्ड तैयार करते समय उक्त आराजी खसरा नम्बर को चकवीरमपुरा प्रार्थी/असल रैस्पो0 की खातेदारी में ना दर्शाते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट एंव तरतीवी रैस्पो0 के इन्द्राज कर दिये। उक्त इन्द्राजो की आड में अप्रार्थी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 विवादित आराजी को ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कयासो के आधार पर पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद माना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। क्योंकि चक वीरमपुरा में

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साविक खसरा नम्बर 02 रकवा 20 बीघा 6 विस्वा है तथा गॉव चकवीछी में साविक खसरा नम्बर 02 रकवा 05 बीघा स्थित है बंदोबस्त विभाग ने इन दोनों गॉव के अलग अलग, दोनों गॉव के साविक नक्शा के मुताबिक हाल नक्शे बनाये हैं एवं दोनों गॉव के अलग अलग मिलान क्षेत्रफल बनाते हुये अलग अलग हाल नम्बर बनाये हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त समस्त रिकार्ड दोनों गॉवो का प्रस्तुत किया है मगर अदालत तहत ने पेश कर्दा रिकार्ड पर ना तो गौर फरमाया और ना ही आलोच्य आदेश में विवेचित किया है। साविक खसरा नम्बर 02 का रिकार्डेड खातेदार कजोड पुत्र नारायण ने अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर विवादित खसरा नम्बर पर अपीलाण्ट वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 225/919 को तरतीवी रैस्पो0 को विक्रय कर कब्जा दे दिया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायलय ने प्रकरण के तथ्यों की गहनता से जॉच कर दोनों ग्रामो की सीमाओ में विवाद माना जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में ही कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्राम चक वीरमपुरा व चकवीछी का बन्दोबस्त दौरान सीमा के निर्धारण में ग्राम चक वीरमपुरा के क्षेत्र का रकवा मौके व रिकार्ड के विपरीत गलत व अवैध रूप से कम करते हुये ग्राम चकवीछी के रकवा को मौके व रिकार्ड के विपरीत बढा दिया है एवं रिकार्ड तैयार करते समय उक्त आराजी खसरा नम्बर को चकवीरमपुरा प्रार्थी/असल रैस्पो0 की खातेदारी में ना दर्शाते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट एंव तरतीवी रैस्पो0 के इन्द्राज कर दिये। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर स्थगन होते हुये भी आराजी को विक्रय कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के बीच अधिकारो/स्वत्व का निर्धारण, विस्तृत साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर वाद में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद है। चूंकि विवादित आराजीयात बाबत् पक्षकारान के मध्य विवाद होना एवं श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर के आदेश दिनांक 12.06.2015 के मुताबिक दोनों ग्रामों चक वीरमपुरा व ग्राम चकवीछी ग्रामो की सीमाओ में विवाद को देखते हुये उक्त दोनों ग्रामो की सीमाओ को सर्वे यंत्रो से जॉच कर गुणावगुण, तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रेतिप्रेषित किया जाना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम चक वीरमपुरा व ग्राम चकवीछी की सीमा पर स्थित है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के मध्य और विवाद ना बढे इसलिये हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी भी प्रकार, विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना का निर्णय दिनांक 31.05.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-11-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
कार्या0 भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर